Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to amend the rules and regulations regarding sale of packaged drinking water in the country.

श्रीमती रक्षाताई खाडसे(रावेर): आजकल पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर या मिनरल वॉटर के नाम से आमतौर पर पानी की ब्रिकी की जाती है। मार्केट में उपलब्ध ज्यादातर पैकेज्ड ड्रिंकिगं वॉटर आई.एस.आई. मार्क होता है जिसके चलते आम आदमी सहज व विश्वासपूर्वक ग्रहण करता है। हाल ही में हुए सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध टोटल पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर में से 65 प्रतिशत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर जो बाजार में आमतौर पर बेचा जाता है उसकी क्वालिटी के लिए जांच करने के लिए कोई एजेंसी सरकार के पास आज उपलब्ध नहीं, जो कि बहुत जरूरी है। सरकार के पास पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर का मूल स्रोत जांच करने की कोई पद्धति निर्देशित नहीं है। बीमारियों के फैलाव का मूल कारण, खराब या दूाित पानी पीना है। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के सर्टिफिकेशन हेतु नये या मौजूदा रूल्स व रेग्युलेशन्स में संभाव्य संशोधन तथा आई.एस.आई. मार्क स्पेसिफिकेशन में सुधार की जरूरत है और इसी के साथ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की रिटेल काउन्टर पर जांच करने हेतु एजेंसी गठित करने के लिए भी निवेदन करती हूँ जो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के मूल स्रोत की भी जांच करने के लिए सक्षम हो।